आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 101/2011

मो0 रहीमुद्दीन अंसारी — अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 07.07.2011 ई० अंदर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 02/11 में पारित आदेश के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी मौजाः भवानीपुर, थानाः प्रतापगंज, जिलाः सुपौल के निवासी है वो पुराना खेसरा संख्याः 4853 नया खेसरा संख्याः 8735, 8734, 8736 रकवाः 29 डी० भूमि पर अपीलार्थी का मकान मय सहन है। उक्त भूमि निबंधित बिक्री दस्तावेज संख्याः 4281/1989 (दिनांकः 12.05.89) के माध्यम से अपीलार्थी के द्वारा क्रय किया गया है। खरीदगी के उपरांत अपीलार्थी उक्त खरीदगी भूमि पर शांतिपूर्वक रूप से दखलकार रहते चले आए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि पुराना खेसरा संख्याः 4853 एक बड़ा भू–खण्ड है जिसका रकवाः 03 बीघा है जिसमें से 04 डी० भूमि का विपक्षी के पिताः सुंदर महतो को बासगीत पर्चा के माध्यम वाद संख्याः 41/1983–84 के द्वारा आवंटित है। परंतु उनके द्वारा उक्त पर्चा के आधार पर 14 डी० भूमि पर दावा किया गया। उक्त मामले की जॉच अंचल अधिकारी, राघोपुर के द्वारा किया गया एवं उनके दावा को गलत पाया गया। तदोपरांत उनके द्वारा अपने पुत्र अशोक साह के नाम से बासगीत पर्चा वाद संख्याः 7/91 के द्वारा बासगीत पर्चा प्राप्त कर लिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि उक्त बासगीत पर्चा आदेश के विरू समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में वाद संख्या 79/13 दायर किया गया जो लंबित है बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि उक्त बासगीत पर्चा वाद संख्याः 7/91 में विपक्षी अर्जून साह के नाम से वासगीत पर्चा निर्गत करने के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में रिभीजन वाद संख्याः 79/93 दायर किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपने दावों के समर्थन में रेस्पोण्डेन्ट के पिताः सुंदर साह द्वारा अंचल अधिकारी, राघोपुर के समक्ष समर्पित आवेदन पत्र, विविध बासगीत अभिलेख संख्याः 06/89–90 में अंचल अधिकारी, राघोपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश, अर्जून साह पिता–सुंदर साह के नाम से 10 डी० भूमि हेतू स्वीकृत बासगीत पर्चा, समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में लंबित विविध वाद संख्याः 79/93 के आदेश पत्रक, भोला नायक द्वारा मो० रहिमउद्दीन के नामे क्रियान्वित केबाला दस्तावेज संख्याः 4281/1989, एस०. टी० वाद संख्याः 62/95 (एस०) अर्जून साह वनाम बिन्दी साह एवं अन्य में पारित आदेश की सत्यापित छायाप्रति इस न्यायालय में दाखिल किया गया है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते है कि निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांकः12.05.1989 के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दावा गलत है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि पुराना खेसरा संख्याः 4853 का कुल रकवाः 03 बीघा है जिसमें अपीलार्थी द्वारा खरीदगी के आधार पर 29 डी० भूमि पर दावा किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के परिवार द्वारा पूर्व में ही 29 डी० भूमि में से 04 डी० भूमि जनक महतो एवं 02 डी० भूमि प्रमोद साह को बिक्री कर दिया गया। अभिलेख पर रक्षित अंचल अमीन के प्रतिवेदन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। यद्यपी बिक्री के उपरांत अपीलार्थी के पास 23 डी० भूमि ही अवशेष रह जाती है परंतु अपीलार्थी द्वारा रेस्पोण्डेन्ट की 4.5 डी० भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है जिसे अंचल अमीन द्वारा मापी के आधार पर भी पाया गया। अतएव निम्न न्यायालय के समक्ष रेस्पोण्डेन्ट का दावा पूर्णतः वैधानिक, सही एवं वैद्य है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि रेस्पोण्डेन्ट का वाद यह है कि खेसरा संख्याः 4853 रकवाः 10 डी० पर वादी के मकान मय सहन का भाग बहुत पूर्व से ही अवस्थित है एवं बासगीत पर्चा वाद संख्याः 07/1991–92 में समुचित जॉचोपरांत अंचल अधिकारी द्वारा खेसरा संख्याः 4583 के 10 डी० भूमि का बासगीत पर्चा रेस्पोण्डेन्ट/वादी के नाम से स्वीकृत किया गया। तदोपरांत रेस्पोण्डेन्ट द्वारा बिहार सरकार, सिरिस्ते में अपने नाम से दाखिल खारिज कराया गया जिसके अनुरूप रकवाः 10 डी० भूमि हेतु जमाबंदी संख्याः 190 अर्जून साह के नाम से चलती है एवं रेस्पोण्डेन्ट अर्जून साह अद्यतन मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आए।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट को इंदिरा आवास स्वीकृत हुआ एवं अंचल अधिकारी, प्रतापगंज द्वारा मकान निर्माण हेतु राशि प्रदान किया गया जिसके बाद रेस्पोण्डेन्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पक्का मकान निर्माण का कार्य प्रारभ किया गया एवं प्लींथ स्तर तक निर्माण किया गया तदोपरांत अपीलार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा असामाजिक तत्वों के साथ प्रश्नगत भूमि पर विवाद उत्पन्न किया जाने लगा वो रेस्पोण्डेन्ट की 4.5 डी० भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोण्डेन्ट द्वारा थाना अध्यक्ष, प्रतापगंज के समक्ष आवेदन दिया गया जिसपर उनके द्वारा द०प्र०सं० की धारा 104 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई परंतु अपीलार्थी द्वारा फिर भी प्रश्नगत भूमि पर विवाद उत्पन्न किया जाता रहा तब रेस्पोण्डेन्ट द्वारा अंचल अधिकारी, के समक्ष 25.06.2010 को आवेदन समर्पित किया गया। रेस्पोण्डेन्ट के आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से मामले की जॉच कराई गई एवं मामले को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के पास भेज दिया गया जिसके आधार पर उनके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की

कार्रवाई प्रारंभ की गई।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते है कि विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा अंचल अमीन, प्रतापगंज से प्रश्नगत भूमि की मापी कराई गई एवं अंचल अमीन द्वारा मापी के पश्चात् अपना मापी प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया जिसके अवलोकनोपरांत यह साबित हो गया कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोण्डेन्ट के बासगीत पर्चा की प्रश्नगत भूमि के रकवा: 04.5 डी० पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ताय आगे यह भी कथन करते हैं कि मापी प्रतिवेदन स्वयं ही यह साबित करता है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी खरीदगी भूमि से अधिक पर कब्जा किया गया है। अतएव अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर दावा गलत, निराधार एवं अवैधानिक है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि बासगीत पर्चा वाद समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में लंबित है। वर्णित स्थिति में समाहर्त्ता, सुपौल को लंबित बासगीत पर्चा वाद को दो माह के अन्दर निष्पादन करने हेतु निदेश के साथ अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/1/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

10/1/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा